For Website 1451

राजस्थान वित्त निगम
मुख्यालय–उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
दूरभाष संख्या 0141–2385522

औद्योगिक इकाई की विक्रय सूचना

राजस्थान वित्त निगम से सहायता प्राप्त निम्न लिखित औद्योगिक इकाई का "जहां है–जैसी है" नकद आधार पर/विलम्बित भुगतान पर विक्रय हेतु मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं	इकाई का नाम एवं पता	उत्पाद	विक्रय हेतु परिसम्पत्तियां	धरोहर राशि
शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर सी–96, जगन पथ, चोमु हाऊस, जयपुर, राजस्थान दूरभाष संख्या 0141–2369784				
1	मैसर्स मुनीर खान,प्लाट नं. ए–1–बी ,(प्रथम तल) ब्लाक ए,सूत्रसिद्ध, खासाकोठी सर्किल बनीपार्क ,जयपुर	होटल	भवन व अन्य सामान (प्रथम मंजिल)	5.00 लाख
शाखा कार्यालय, राजस्थान वित्त निगम, डी.आई सी बिल्डिंग, फूलबाग के पास,अलवर, राजस्थान दूरभाष संख्या 0144–2700754				
2	मैसर्स हरी ओम इण्डस्ट्रीज जी–1–87 रीको ओद्योगिक क्षेत्र , कोलाना ,जिला दौसा, (शाखा कार्यालय अलवर)	फ्लोर मिल्स	भूमि– 1000 वर्गमीटर, भवन– 3240 वर्गफीट, यंत्र व संयत्र	2.13 लाख
3	मैसर्स विकास प्लास्टिक पाईप इन्डस्ट्रीज,ग्राम ठेकडा, एन.एच.11 बाईपास , तहसील महुआ, जिला दौसा, (शाखा कार्यालय अलवर)	प्लास्टिक पाईप	भूमि– 764.27 वर्गमीटर, भवन– 3340 वर्गफीट, यंत्र व संयत्र	3.75 लाख

क्रम संख्या 1 की निविदा मुख्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग,, जयपुर तथा क्रम संख्या 2 व 3 की निविदा सम्बन्धित शाखा कार्यालय अलवर पर प्रत्येक माह की 20 तारीख को मध्यांहन 3.00 बजे तक प्राप्त की जाएगी एवं तत्पश्चात उसी दिन उक्त इकाईयों की नीलामी की जाएगी। इकाई संख्या 2 व 3 की आंशिक सम्पत्ति खरीदने के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित है।

प्रथम चरण में अविक्रित इकाईयों की नीलामी अगले चरण में की जाएगी। उक्त किसी दिवस पर अवकाश घोषित होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को नीलामी की जायेगी। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

इकाई की परिसम्पत्तियों तथा निविदा की दिनांक, समय, स्थान, धरोहर राशि एवं नियम व शर्तो एवं सम्बन्धित शाखा कार्यालयों की विस्तृत जानकारी के लिए निगम की वैबसाईट www.rfc.rajasthan.gov.in देखें या उप महाप्रबंधक (अनुसरण एवं वसूली) मुख्यालय/संबंधित शाखा प्रबन्धक जयपुर,(सेन्ट्रल) अलवर, दौसा से सम्पर्क करे।

महाप्रबन्धक (ऑपरेशन्स)

1450

1113

निविदा की शर्तें एवं नियम : (1) निविदा के साथ धरोहर राशि का भुगतान नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर द्वारा जो कि राजस्थान वित्त निगम के पक्ष में देय हो, के रूप में किया जाना चाहिये । (2) निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 1000/– नकद अथवा डीडी के रूपमें जमा कराने होंगे । निविदाकार द्वारा इकाई की आंशिक सम्पत्ति को खरीदने की दशा में धरोहर राशि प्रस्ताव राशि की 5 प्रतिशत देय होगी । (3) निविदाकार निलामी की विस्तृत शर्तें सम्बन्धित शाखा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं । परिसम्पत्तियों का निरीक्षण कार्यालय समय पर कार्य दिवस को सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क कर किया जा सकता है । (4) रीको लि. की संस्थागत बकाया राशि यदि कोई हो तो केता को स्वयं भुगतान करना होगा । (5) मूल ऋणी जिसकी सम्पत्तियों की नीलामी होने जा रही है, को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा नीलामी कार्यक्रम में भाग ले और इकाई की बेहतर कीमत दिलाने में सहयोग करें । ऋणी या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में यह समझा जायेगा कि ऋणी सम्पत्तियों की और अधिक कीमत दिलाने का इच्छुक नही है, ऐसी स्थिति में निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उन्हे नोटिस दिये बगैर संपत्तियों को सबसे उच्च बोलीदाता को विकय कर दें । (6) निगम द्वारा गठित नीलामी समिति प्राप्त बोली के आधार पर इकाई के विकय का निर्णय नीलामी दिवस पर नीलामी स्थान पर ही लेगी एवं नियमानुसार प्रारम्भिक/विकय राशि तथा आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करने पर इकाई का कब्जा केता को दे दिया जावेगा । (7) सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी । किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है । (8) किसी भी इकाई की नीलामी निगम द्वारा बिना कारण बताये रदद की जा सकती है । (9) नीलाम की गई इकाई की रजिस्ट्री पर दरें राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगी । (10) प्रथम चरण में अविकित इकाई की नीलामी अगले चरण में की जायेगी ।

(11) अधिक जानकारी के लिए मुख्यालय अथवा सम्बन्धित शाखा कार्यालय से सम्पर्क करें ।

1449

राजस्थान वित्त निगम
मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

(अ) इकाई का नाम (जिसकी परिसम्पत्तियां निगम द्वारा विक्रय की जा रही है)

(ब) परिसम्पत्तियों का विवरण

(स) निविदा की तिथि

<u>निविदा की शर्तें (नकद / विलम्बित भुगतान पर)</u>

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित धरोहर राशि नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर के रूप में जमा करानी होगी । निविदाएं निविदा प्रपत्र रूपये 1000/- फीस के साथ स्वीकार की जावेगी ।
2. इकाई की परिसम्पत्तियाँ "जहां है जैसी है" की स्थिति में बेची जायेगी ।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।
4. (अ) केता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होने पर केता को विकी राशि की 5 प्रतिशत राशि विक्रय प्रकिया पूर्ण होने पर, पूर्व में जमा कराई राशि समायोजित करते हुए, नकद, चैक अथवा डीडी द्वारा तुरन्त उसी दिन जमा करानी होगी (केवल स्थानीय चैक ही लिए जाएंगे) ।

   (ब) केता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होने की दशा में धरोहर राशि अगर विक्रय राशि के 5 प्रतिशत से अधिक है तो वह "इनीशियल पेमेन्ट" के पेटे समायोजित कर ली जाएगी ।

   (स) इनीशियल पेमेन्ट और धरोहर राशि के अन्तर की राशि चैक द्वारा भुगतान करने की दशा में विक्रय पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाएगा कि "विकी स्वीकृत पत्र चैक का भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रभावी होगा" ।

5. विक्रय राशि के भुगतान की प्रकिया:-

(अ) यदि विक्रय राशि रूपये 25.00 लाख तक है तो निविदाकर्ता का परिसम्पत्तियां खरीदने का यह प्रस्ताव नकद आधार पर होगा तथा निविदाकर्ता द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि विक्रय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) जारी होने के 90 दिवस में जमा करानी होगी, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से देय होगा :-

(i) विक्रय राशि का 50 प्रतिशत (अरनेस्ट मनी सहित) केता को विक्रय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) जारी होने के 30 दिवस की समयावधि में जमा करानी होगी ।

(ii) अग्रिम 25 प्रतिशत राशि अगले माह में जमा करानी होगी । (60 दिवस में)

(iii) शेष 25 प्रतिशत की राशि अगले माह में जमा करानी होगी । (90 दिवस में)

(iv) यदि विक्रय राशि का 50 प्रतिशत विक्रय पत्र (सेल अप्रूवल लेटर) के जारी होने के 30 दिवस में जमा नहीं कराई जाती है तो विकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी तथा धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) जब्त कर ली जावेगी एवं इकाई की नीलामी पुनः नियमानुसार की जावेगी ।

(v) विक्रय करार के निष्पादन का समस्त खर्चा केता को वहन करना होगा ।

(vi) विकित इकाई की परिसम्पत्तियों का केता के पक्ष में विक्रय इकरार का निष्पादन एवं परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा ।

(ब) यदि विक्रय राशि रूपये 25.00 लाख से अधिक है :-

(i) निविदा की 25% राशि (पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए) केता को विकी स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर जमा करवानी होगी । आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए बेची गई परिसम्पत्तियों का कब्जा निगम से 30 दिवस के भीतर लेना होगा, अन्यथा केता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी ।

(ii) यदि विक्रय विलंबित भुगतान के आधार पर है तथा विक्रय राशि 25 लाख से 100 लाख रुपये तक है तो केता को विक्रय मूल्य का 25% नगद तथा शेष राशि खरीददार को 6 तिमाही किश्तों में तथा यदि विक्रय राशि 100 लाख से अधिक है तो 12 तिमाही किश्तों में चुकानी होगी जो कि परिसम्पत्तियों पर कब्जा लेने के 12 माह बाद प्रारम्भ होगी ।

1448

(iii) शेष विलंबित भुगतान राशि पर नीलामी के समय विद्यमान ——— प्रतिशत की दर से ब्याज विक्रय स्वीकृति पत्र
जारी होने की तिथि से 30दिन बाद अथवा परिसम्पत्तियों के कब्जा लेने के दिन से, जो भी पहले हो, तिमाही किश्तों
में देना होगा । केता को विलंबित ऋण का भुगतान "पोस्ट डेटेड चैक" के द्वारा करना होगा । यदि खरीददार इसमें
चूक करता है तो नियामानुसार दण्डनीय ब्याज रियायती दर से ......प्रतिशत अधिक, अर्थात......... प्रतिशत की दर से
देना होगा । इसके अतिरिक्त निगम को राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार
कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

(IV) Reset clause for interest rate as per norms shall be applicable.

6. खरीददार को अपनी इकाई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य सरकार की नीति के
अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना होगा ।

7. केता को रीको लि. के आई.पी.आई बकाया, जे डी ए / स्थानीय निकाय के बकाया से संबंधित बकाया राशि यदि कोई हो तो
जमा करानी होगी इस बकाया राशि की जानकारी संबंधित शाखा प्रबंधक/रीको लि./जे.डी.ए./स्थानीय निकाय से प्राप्त की
जा सकती है ।

8. औद्योगिक इकाई के केता को राज्य सरकार के विभाग यथा विद्युत वितरण कम्पनी, वाणिज्यिक कर विभाग, यातायात विभाग,
खनिज विभाग, भूमि एवं भवन कर, राज्य एक्साईज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं उद्योग विभाग की बकाया राशि की
जिम्मेदारी नहीं होगी ।

9. भूमि एवं भवन के केता को विक्रय संबंधी दस्तावेजों का निष्पादन राजस्थान स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के
अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर कराना होगा तथा रजिस्ट्रेशन का व्यय भी केता को वहन करना होगा जो कि
उपर्युक्त विक्रय राशि के अतिरिक्त होंगे ।

10. केता यदि इस इकाई के भूमि एवं भवन में कोई प्रदूषण फैलाने वाली इकाई लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने से पूर्व
राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारक नियंत्रक मण्डल से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।

11. भूमि के लीज होल्ड अधिकार शेष बची हुई अवधि के लिए हस्तान्तरित होंगे ।

12. विलंबित विक्रय के मामले में खरीददार यदि धरोहर राशि (इनीशियल पमेन्ट) 25% से अधिक राशि जमा कराना चाहे तो करा
सकता है । ऐसे मामलों में शेष बची हुई विलंबित भुगतान की राशि पर विद्यमान दर से ब्याज की राशि का भुगतान देय होगा
। समय पर भुगतान नहीं करने की दशा में नियमानुसार दण्डनीय ब्याज देना होगा।

13. केता को अपनी अच्छी साख के बारे में निगम की संतुष्टि के लिए वांछित सूचना सम्पत्तियों पर कब्जा लेने के पूर्व/करार के
पूर्व देनी होगी ।

14. विलंबित भुगतान आधार के केता को यह सहमति देनी होगी कि निगम इकाई में जब तक ऋण बकाया है, केडिट इन्फोरमेशन
ब्यूरो ऑफ इण्डिया को उससे संबंधित ऋण सूचनाएं उपलब्ध करा सकेगा एवं प्राप्त कर सकेगा ।

15. यदि केता विक्रय करार का निष्पादन किसी फर्म, साझेदारी या कम्पनी के नाम करवाना चाहे तो ऐसी अवस्था में अनुमति के
लिए केता को फर्म/कम्पनी में अपना हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रखना होगा और सभी साझेदारों/निदेशकों की साख के
बारे में समस्त वांछित सूचना देनी होगी ।

16. विलम्बित भुगतान के आधार पर केता द्वारा इकाई कय करने पर, विलम्बित भुगतान की राशि का एक प्रतिशत राशि (सर्विस
चार्ज मय टेक्स) जमा कराने के उपरान्त ही विक्रय पत्र जारी किया जावेगा ।

17. नकद आधार पर केता द्वारा इकाई कय करने पर, रूपये 5000/– का सर्विस चार्ज जमा कराने के उपरान्त ही विक्रय पत्र
जारी किया जावेगा । जो कि विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं की जावेगी ।

18. जिस अवधि तक राजस्थान वित्त निगम की ऋण राशि बकाया रहेगी उस अवधि तक परिसम्पत्तियों की पूर्ण राशि का पूर्ण
बीमा केता को कराना होगा ।

उक्त शर्तो के अतिरिक्त CRE cases की परिसम्पत्तियों की विक्रय के लिए निम्नलिखित शर्ते ओर लागू होगी :–

19. परिसम्पत्तियों के विलम्बित भुगतान के आधार पर खरीदने पर, खरीददार द्वारा एकल फ्लेट, ऑफिस एवं दुकान की बिक्री के
लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), विक्रय राशि में से नियमानुसार राशि निगम में जमा कराने पर ही जारी किया जावेगा ।

20. इकाई स्थल पर यदि कोई अनाधिकृत निर्माण कार्य है तो उसे संभावित/इच्छुक खरीददार द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से एवं
स्वयं के स्तर पर ही नियमितिकरण कराना होगा, जिसके लिए निगम किसी भी तरह से जिम्मेदार एवं उत्तरदायी नहीं होगा ।

21 The rate of intt shall be reset after every ______ months during the currency of loan after
and the Corporation shall charge rate of intt. prevailing at that time or existing rate of
interest at that time or existing rate of interest which ever is higher.

1447

22 अन्य शर्ते : ....

नोटः– मैंने/हमने नीलामी की सभी शर्ते भलीभांति पढ एवं समझ ली है और नीलामी की सभी शर्ते मुझे/हमें मंजूर है ।

(अ) नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता/व्यक्तियों के नाम एवं हस्ताक्षर

कमांक	निविदाकर्ता/व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर
1.		
2		
3		
4		
5		

(ब) नीलामी के सदस्य

कमांक	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1446

1150

Bid: Offer Form (Rs.1000+18% GST i.e. Rs.180/-)
Cash/DD No.............
Receipt No.............
Date...................

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
HO/BO.................................

1. Name of the bidder ____________________
2. Address of bidder ____________________
____
____
____
____
Phone ____________________

3. Bid for the assets of M/s ____________________
Date of auction Date ____________________
Earnest money as prescribed Rs. ____________________
4. Details of earnest money:
i) Earnest money Rs. ____________________
ii) DD/Cash receipt No. ____________________
5. Bid amount for
i) Composite unit Rs. ____________________
ii) Only for land & building Rs. ____________________
iii) Only for plant & machinery Rs. ____________________

We/I offer Rs.___________ for purchase of assets (indicated above) of above said unit on the terms & conditions as decided by the "Corporation" and on the basis of **"as is where is basis."** We/I have inspected the assets for which bid has been given Our/My bid is on cash down/deferred payment basis.

Signature of bidder

Date:___________
Place___________